न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 59 / 2021

आरसीएमएस नं. :– 2021 / 59

1. हरपाल कौर पत्नी श्री जगरूप सिंह पुत्री श्री मोटा सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. शालिन्द्र कौर पत्नी श्री बलराज सिंह पुत्री श्री मोटासिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. जोगेन्द्र सिह पुत्र श्री मोटा सिह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. धनकौर पत्नी श्री मोटा सिह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. हीरा सिह पुत्र श्री मोटा सिह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. चरणजीत कौर पत्नी स्व0 जसविन्द्र सिंह पुत्र मोटा सिह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. गुरचरण कौर पुत्र स्व0 जसविन्द्र सिंह पुत्र मोटा सिह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. सोनवीर कौर पत्नी संदीप सिंह पुत्री स्व0 जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी पोहड़का तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा
6. गगनदीप कौर पुत्री स्व0 जसविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी चन्द्रड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. मनोज कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

-- रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा,
आदेश दिनांक 01.03.2021 प्र0 स0 123/2020
हरपाल कौर आदि बनाम धन कौर आदि
उपस्थितिः-
श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अनिल सिह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री जसपाल सिह दहिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7
श्री मदनलाल मेहरड़ा अधिवकत रेस्पे0 सं0 2, 3, 4, 6, 5

निर्णय दिनांक 8.7.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि चक 12 एलजीडब्ल्यू के ख्याता संख्या 53/46 में 1.265 है0 कृषि भूमि तथा चक 14 एलजीडबल्यू 'ए' के खाता संख्या 47/44 में .253 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम वर्तमान में दर्ज आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी है। रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा रेस्पेडेण्ट संख्या 2 ता 6 के साथ मिलकर 12 एलजीडब्ल्यू केखाता संख्या 53/46 की 1.265 है0 आराजी अपने नाम करवा ली, जिसका प्रतिफल भी अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्राप्त किया गया। प्रार्थीगण का हक मारने के लिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 6 ने दुर्भिसंधी व अविधिक तरीके से रेसपोडेण्ट सं0 1 से रेस्पो0 सं0 7 से करवाई गई है। जिसकी उसे कोई अधिकारिता नहीं है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया एवं प्रार्थना-पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा यह आदेश पारित किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण के उपरान्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना न्यायोचित है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलांटा के हितों की और गौर न कर कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट के धारण एवं आधिपत्य की भूमि को यदि रेस्पोडेण्ट अन्तरित कर देते हैं तो अपीलाण्ट अपने धारण की आराजी की खातेदारी घोषणा करवाने से महरूम हो जायेगा। अप्रार्थीगण रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरित करने पर उतारू है तथा पारितवारिक सदस्यों के मध्य विवाद के लम्बित रहते वाद की बहुलता को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक थी। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई गौर नहीं किया है। पारिवारिक सम्पति के विवाद में स्थगन आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोउेण्ट सं0 को अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग व उभोग करने का कानूनन अधिकार है जिसे वह अपनी इच्छानुसार रहन बैय कर सती है। वह एक निरोग एवं स्वछित महिला है जिसे अपना बैयनामा दिनांक 03.11.2020 विधिवत निष्पादित किया था। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 को उसके पिता से प्रापत हुई है जो मुताबिक हिन्दू विधि मुझ अप्रार्थी सं0 1 की स्व अर्जित भूमि है जसमं मेरे पुत्र पुत्रियों का कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील एवं प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र प्रसतुत किया था जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2021 यह आदेश किया अप्रार्थीगण के जवाब उपरान्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना न्यायोचित है। दिनांक 01.07.2021 को अप्रार्थी सं0 1 ने ने जवाब व फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये। इस विचारण न्यायालय में

Sd/-
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अप्रार्थी सं0 1 का जवाब पेश हो चुका था। जवाब पेश होने पर विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा का पर बहस सुनकर निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। चूंकि अपील में उभयपक्ष उपस्थित आ चुके हैं इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र का का निस्तारण यहां किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेण्ट सं0 प्रश्नगत भूमि खातेदार काश्तकार है। जिसे उसने अपने पिता से प्राप्त होने का कथन करते हुए प्रश्गनत भूमि को स्वअर्जित भूमि होना बताया है और कहा है कि यह भूमि पैतृक भूमि नहीं है। जबकि अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए इसमें अपना हक हिस्सा होने का कथन यिका है। चूंकि रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत भूमि की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। चूंकि उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में किया जाना है। इस बीच यदि भूमि को रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट को असुविधा होगी और उसका यदि कोई हक अधिकार है तो वह उसकी घोषणा करवाने से वंचित हो जायेगा जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया जहां पारिवारिक सदस्यों के बीच सम्पति बाबत वाद विचाराधीन हो तथा आराजी के अन्तरण का खतरा हो तो स्थगन आदेश खातेदार काश्तकार के विरूद्ध भी पारित किया जा सकता है। अगर वाद पत्र के निस्तारण से पूर्व वादाधीन आराजी की रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वाद में विवाद की बहुलता बढेगी इसलिए वादाधीन आराजी की ताफैसला वाद यथास्थिति बनाई रखनी आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 व 7 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडबल्यू के खाता सं0 53/46 के प. नं. 11/289 के किला नं. 1, 11, 20, 21 की कुल 1.265 है0 नहरी मय गैर मु0 खाला व चक 14 एलजीडबल्यू–ए के खाता सं0 47/44 के प. नं. 9/282 के किला नं. 1 की 0.253 है0 नहरी पैतृक कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे व मोका की व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 8/7/22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/7/22
(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)